राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राज. जयपुर
क्रमांक एफ 20 ( )/निजभूस/लिवलीहुड/2019/7411 दिनांक 10.10.2019

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 1298–1616 दिनांक 07.02.2013 के क्रम में जलग्रहण परियोजना में जीविकोपार्जन मद की राशि के उपयोग हेतु स्वयं सहायता समूह गठित कर उनको एवं एकल उद्यमी को सीडमनी (बिना ब्याज के राशि) उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विभाग द्वारा वर्तमान में वर्ष 2012–13 व 2013–14 के तहत् कुल 216 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनकी समयावधि क्रमशः मार्च 2020 व मार्च 2021 है, किन्तु भारत सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को पी.एम.के.एस.वाई. (वाटरशेड कम्पोनेंट) में समाहित कर दिया गया है तथा उसकी अवधि मार्च 2020 है। अतः परियोजना में जीविकोपार्जन गतिविधियों में अल्प अवधि में स्वयं सहायता समूह का गठन, संचालन एवं दी गई राशि को पुनः रिकवरी कर रिवोल्विंग खाते में पुनः जमा कराने हेतु समयावधि पर्याप्त नहीं है।

परियोजना की सीमित समयावधि को ध्यान में रखते हुए उत्पादन गतिविधियों के अर्न्तगत डीपीआर में स्वीकृत कार्य जो कि अवशेष समय में किये जा सकते हैं जिससे जलग्रहण क्षेत्र के लाभार्थियों को उत्पादन में बढोतरी हो सके तथा जिनको यथा समय सम्पादित किया जा सके, कराया जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में जीविकोपार्जन के लाभार्थियों को क्षमतावर्धन हेतु प्रशिक्षण दिये जाने का भी प्रावधान है जो कि मार्गदर्शिका में निर्देशित है। इसी क्रम में क्षेत्र विशेष की आवश्यकता एवं लाभार्थी वर्ग की रूचि के अनुसार विभाग द्वारा पूर्व में जारी प्रशिक्षण मोड्यूल के अनुरूप क्षमतावर्धन प्रशिक्षण करवाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसका समस्त व्यय प्रशिक्षण मद से किया जाएगा।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण कार्य क्षमतावर्धन (Skill Devlopement) में दक्षता रखने वाले राजकीय संस्थान एवं अनुमोदित संस्थाओं से कराया जा सकता है, यथा संभव प्राथमिकता राजकीय प्रतिष्ठित संस्थानों को दी जावे।

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम कार्य निर्देशिका – 2013 के पृष्ठ संख्या 33 से पृष्ठ संख्या 48 में दिये गए निर्देशानुसार जीविकोपार्जन एवं उत्पादन गतिविधियों पर प्रशिक्षण दिया जाकर भुगतान प्रशिक्षण मद से किया जायेगा।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग

कमांक एफ 20 ( )/निजभूस/लिवलीहुड/2019 /7411-7420 दिनांक 10.10.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्कय कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी), आयुक्तालय जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), आयुक्तालय जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय जयपुर।
5. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तलाय जयपुर।
6. समस्त उप निदेशक, आयुक्तालय जयपुर।
7. समस्त अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक जिला परिषद।
8. समस्त पीआईए एवं सहायक अभियंता।
9. एसीपी आयुक्तालय जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(आर. के. शर्मा)
आयुक्त